संख्या 666भू0क0 /18(1)/2007–1(76)/2008

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांक 2० सितम्बर, 2008

विषयः– मै0 एन0एम0सी0 ओवरसीज प्रा0लि को अल्ट्रामॉर्डन फार्मास्यूटिकल्स एण्ड हर्बल फार्मिंग यूनिट की स्थापना हेतु ग्राम नयागांव जुल्फकार तहसील कालाढूगी जनपद नैनीताल में 10 एकड भूमि क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–44/12 जेड.ए.सी/2008 दिनांक 22,अगस्त,2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 एन0एम0सी0 ओवरसीज प्रा0लि को अल्ट्रामॉर्डन फार्मास्यूटिकल्स एण्ड हर्बल फार्मिंग यूनिट की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत ग्राम नयागांव जुल्फकार तहसील कालाढूंगी जनपद नैनीताल के खसरा संख्या 18/1 की लगभग 10 एकड़ भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (अल्ट्रामॉर्डन फार्मास्यूटिकल्स एण्ड हर्बल फार्मिंग यूनिट की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी

.....(2)

अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी ,उक्त अवधि के भीतर प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं भूमि के विकय विलेख के 2 वर्ष के भीतर योजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना होगा।

7– कम्पनी द्वारा उद्योग के लिए प्रस्तावित ग्राम–नयागांव जुल्फकार के खसरा संख्या–18/1, भारत सरकार के किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है। भारत सरकार, वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1(10)/2001एन0ई0आर 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 थ्रस्ट उद्योगों के अन्तर्गत मैडिकल हर्बस प्रोसेसिंग तथा फार्मा प्रोडक्टस् को भी रखा गया है। तथा इन उत्पादों पर अधिसूचित औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर थ्रस्ट उद्योगों की स्थापना पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

8– कम्पनी द्वारा इस उद्योग की स्थापना के लिए जिला नैनीताल के ग्राम नयागांव जुल्फकार, विकास खण्ड कोटाबाग, तहसील कालाढूंगी स्थित भूमि अभिज्ञापित कर भूमिधरो से कय अनुबन्ध किया गया है। जनपद नैनीताल का कोटाबाग विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के प्रस्तर 2 में श्रेणी–बी के अन्तर्गत आवृत्त है। तथा इस विकास खण्ड में प्रस्तावित उद्योग की स्थापना विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत प्रदत वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

9– कय की जाने वाली भूमि का भू– उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी ,उक्त अवधि के भीतर प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं भूमि के विकय विलेख के 2 वर्ष के भीतर योजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना होगा।

7– कम्पनी द्वारा उद्योग के लिए प्रस्तावित ग्राम–नयागांव जुल्फकार के खसरा संख्या–18/1, भारत सरकार के किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है। भारत सरकार, वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1(10)/2001एन0ई0आर 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 थ्रस्ट उद्योगों के अन्तर्गत मैडिकल हर्बस प्रोसेसिंग तथा फार्मा प्रोडक्टस् को भी रखा गया है। तथा इन उत्पादों पर अधिसूचित औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर थ्रस्ट उद्योगों की स्थापना पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

8– कम्पनी द्वारा इस उद्योग की स्थापना के लिए जिला नैनीताल के ग्राम नयागांव जुल्फकार, विकास खण्ड कोटाबाग, तहसील कालाढूंगी स्थित भूमि अभिज्ञापित कर भूमिधरो से कय अनुबन्ध किया गया है। जनपद नैनीताल का कोटाबाग विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के प्रस्तर 2 में श्रेणी–बी के अन्तर्गत आवृत्त है। तथा इस विकास खण्ड मे प्रस्तावित उद्योग की स्थापना विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत प्रदत वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

9– कय की जाने वाली भूमि का भू– उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

में दी जा रही है। केन्द्रीय औधोगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि औद्योगिक विभाग से सम्बन्धित शर्तों का कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने का कष्ट करें।
4– सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड, 5 चन्द्रबनी, मोहब्बेवाला , देहरादून।
8– निदेशक, उद्योग, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रानीपुर, हरिद्वार।
9– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा,2–न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
10– कर्नल, आदित्य गौड, पुत्र श्री वी0डी0 शर्मा, निवासी मै0 एन0एम0सी0ओवरसीज प्रा0लि0, रजि0 आफिस विमहंस,1–इन्स्टिट्यूशनल एरिया, नेहरु नगर, नई दिल्ली।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
12– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।